



सत्यमेव जयते

कुलाधिपति

Chancellor

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय,

.....University,

राज भवन, जयपुर – 302006

*Raj Bhawan, Jaipur*

क्रमांक : एफ.30(2)आरबी/2022/4764

दिनांक : 13 सितंबर, 2022

### आदेश

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (यथासंशोधित) की धारा 24(3) व 24(7) के अंतर्गत प्रो. (डॉ.) अभिमन्यु कुमार को आदेश क्रमांक एफ. 30(2)आरबी/2015/6415, दिनांक 21.08.2019 के माध्यम से डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति पद का कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया था। प्रो. (डॉ.) अभिमन्यु कुमार द्वारा कुलपति, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के पद का कार्यभार दिनांक 13.09.2019 (मध्याह्न पूर्व) को ग्रहण किया गया। प्रो. (डॉ.) अभिमन्यु कुमार का कार्यकाल दिनांक 12.09.2022 को पूर्ण हो गया है।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (यथासंशोधित) की धारा 24(3) के अन्तर्गत नियमित कुलपति की नियुक्ति में समय लगने की संभावना है।

अतः मैं, कलराज मिश्र, कुलाधिपति, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2002 (यथासंशोधित) की धारा 24 (9) व 24 (10) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से प्रो. अजय कुमार शर्मा, कुलपति, एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर को अग्रिम आदेशों तक कामचलाऊ व्यवस्थान्तर्गत (Stop Gap Arrangement) डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति पद के अतिरिक्त प्रभार के रूप में कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

हस्ता०

(कलराज मिश्र)

राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.30(2)आरबी / 2022 / 4765

दिनांक : 13 सितंबर, 2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रो० अजय कुमार शर्मा, कुलपति, एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर।
5. कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. कुलसचिव, एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर।



प्रमुख सचिव,  
राज्यपाल, राजस्थान